न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 06/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये शंकरलाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, शाहाबाद जिला बारां (राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री जयप्रकाश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, पीपलखेड़ी, शाहाबाद जिला—बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :—1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक— 07.04.2022

1— प्रार्थी श्री शंकरलाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, शाहाबाद, जिला बारा ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.09.2016 को श्री हरवीर सिंह (ए.एस.आई.) ग्राम पंचायत केलवाड़ा से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि पीपलखेड़ी के राशन डीलर श्री जयप्रकाश शर्मा द्वारा 9 कट्टे सीलबंद गेंहू ग्राम पीपलखेड़ी से ग्राम पंचायत केलवाड़ा में अवैध रूप से बेचान करने हेतु लाया गया है। उक्त सूचना पर उसी समय बारां से रवाना होकर 7.45 पी.एम. पर केलवाड़ा पहुंचा। मौके पर जांच में पाया कि राशन डीलर श्री जयप्रकाश शर्मा की दुकान में काम करने वाला श्रमिक राजू पुत्र रामकिशोर श्री हरवीर सिंह ए.एस.आई. व ग्रामवासियों की भीड़ एकत्र थी। मौके पर पूछताछ करने पर पाया कि डीलर द्वारा उक्त गेंहू 9 कट्टे सीलबन्द जिस पर भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगा था जिसे बेचने हेतु हाट बाजार में लाया था। मौके पर जब्त 9 कट्टे सीलबन्द गेंहू को पुलिस चौकी में ग्राम पंचायत केलवाड़ा में रखवाकर वनज करवाया तो 450 किलोग्राम मय बारदाना भारतीय खाद्य निगम का मार्का पाया गया। दिनांक 27.09.2016 को मौके पर जब्त गेंहू को नजदीकी डीलर श्री चिरौंजीलाल पुत्र श्री भुज्जी उचित मूल्य दुकानदार पीपलखेड़ी ग्राम पंचायत केलवाड़ा को अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत निवेदन है कि जब्तशुदा 9 कट्टे सीलबन्द गेंहू (450 किलोग्राम) को राजसात कर इसके अंतिम निस्तारण का आदेश पारित फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

–	इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी स्वंय तथा जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द कर प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनी।

3–	बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जब्तशुदा 9 कट्टे सीलबंद गेंहू वजनी 450 किलोग्राम मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा गेहूँ वजनी 4.50 क्विंटल मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4–	हमने पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहाबाद द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर केलवाड़ा पहुंचकर पीपलखेड़ी के उचित मूल्य दुकानदार श्री जयप्रकाश शर्मा द्वारा अवैध रूप से हाट बाजार में विक्रय हेतु लाये गये सीलबन्द 9 कट्टे गेंहू वजनी 4.50 क्विं. मय बारदाना को जप्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा इस बाबत पूछे जाने पर ना तो मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक को कोई संतोषजनक उत्तर दिया ना ही प्रकरण में कोई जवाब पेश किया तथा दौराने बहस भी अप्रार्थी स्वंय तथा उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 4.50 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5–	परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 4.50 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि का विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:40 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां